विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–टीका राम जोशी, सदस्य (न्यायिक)
2–पी.सी. पान्डेय, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–223/2023

परिवादी

दीप चन्द्र
पुत्र मथुरा दत्त
नियर ई.एस.टी.सी. कानिया
रामनगर
जिला–नैनीताल।

बनाम

विपक्षी

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
रामनगर।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 05.08.2023 में कहा गया है कि उसका कनैक्शन नं0–RR-1M437-095959 है। उसका अप्रैल–मई 2023 का बिजली का बिल ₹ 14589.00 आया है। जो कि हमारे पिछले सारे बिलों से बहुत ज्यादा है। अतः विन्रम निवेदन है कि इस बिल को ठीक करने की कृपा करें।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 24.08.2023 में कहा गया है कि परिवादी के संयोजन पर स्थापित मापक की रीडिंग एम.आर.आई. द्वारा की गयी है जिससे यह स्पष्ट है कि परिवादी को सही रीडिंग के बिल प्रेषित किये जा रहे हैं। सुलभ सन्दर्भ हेतु मापक एम. आर.आई. रिर्पोट व उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री संलग्न है (कागज संख्या–5/6 से 5/8)।
3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांकित 02.09.2023 में कहा गया है कि "We are not satisfied with your justification. We want further action on this matter."
4. मंच द्वारा, दिनांक 11.09.2023 को सुनवाई हेतु नियत तिथि में पक्षकार भौतिक रूप से उपस्थित हुए। दोनों पक्षों के तर्क सुने गए एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री एवं मीटर की

क्रमशः

MRI रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी को प्रेषित बिल मीटर में दर्ज खपत के आधार पर जारी किये गये हैं। इस प्रकार वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर जारी बिलों में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना सम्भव नहीं है तथा परिवादी को मंच से कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। इस प्रकार इस मंच से दिनांक 05.08.2023 को जारी स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है तथा विपक्षी परिवादी से बिल की धनराशि को वसूलने के लिये स्वत्रंत है। परिवादी को अपना बिल खपत से अधिक आने की शंका है तो वह मीटर की शुद्धता जांच के लिये विपक्षी के कार्यालय में आवेदन कर सकता है। उपरोक्त चर्चा के आधार पर वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकते है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–19/09/2023

19/09/23
(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

19/9/2023
(पी सी पाण्डेय)
सदस्य (तकनीकी)

19/09/2023
(टीकाराम जोशी)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः–19/09/2023

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(पी सी पाण्डेय)
सदस्य (तकनीकी)

(टीकाराम जोशी)
सदस्य (न्यायिक)